

05.09.24

पत्रावली पेशा हुई। वकील यात्री उपस्थित। वकील यात्री ने बताया कि डिफेंडी का डेवलप हो गया है। डिफेंडी की पालना होने से यह प्रॉपर्टी स्वीगर कर पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाती है। नंबर से कम हो

आदेश सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)

GCMC

2023/339